CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण

सुनिता पूनिया
शोधार्थी
डॉ. प्रीति वर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग
महर्षि अरविन्द यूनिवर्सिटी, जयपुर
Email- sunitapoooia1977@ gmail.com, pritee613@gmail.com, Mobile-9460274686

First draft received: 05.04.2025, Reviewed: 18.04.2025
Final proof received: 15.05.2025, Accepted: 08.06.2025

सार-संक्षेप

भारत एक कल्याणकारी राज्य है इसकी 72.20 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत का विकास ग्रामीण विकास में ही आश्रित है। राजस्थान राज्य में जनकल्याण व विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसके कारण ग्रामीण विकास में तीव्रता आई है। प्रस्तुत शोधपत्र में केन्द्र व राज्यों द्वारा चलित योजनाओं का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। इसमें से मनरेगा का गत तीन वर्षों में व्यय और किए गए कार्यों का द्वितीयक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

मुख्य शब्द : मनरेगा, ग्रामीण विकास, योजना, रोजगार आदि.

प्रस्तावना

भारत एक कल्याणकारी राज्य है इसकी 72.20 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत का विकास ग्रामीण विकास में ही आश्रित है। राजस्थान राज्य में जनकल्याण व विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जिसके कारण ग्रामीण विकास में तीव्रता आई है। प्रस्तुत शोधपत्र में केन्द्र व राज्यों द्वारा चलित योजनाओं का सामान्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा कई विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। प्रस्तुत अध्याय में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास है। जिससे ग्रामीण विकास सारगर्भिता को प्राप्त हो। जन सहभागिता एवं जागरूकता के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नही हो सकता है। इस शोध पत्र में मुख्य रूप से केन्द्र व राज्य की प्रमुख योजनाओं को इंगित किया गया है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डी.आर.डी. ए. प्रशासन योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा), सांसद आदर्श ग्राम योजना।

राज्य प्रवर्तित योजनाएं– विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, गुरूगोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, स्व–विवेक जिला विकास योजना, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बायोगैस योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, श्री योजना।

उपरोक्त योजनाओं में से मनरेगा का चयन किया गया है जिससे कि शोध को अत्यधिक तार्किक बनाया जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई. जी.ए.) – परिचय

भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के अनुसार अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मांग आधारित काम आवंटित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम किया गया। राज्य में 2 फरवरी, 2006 से प्रथम चरण में 6 जिलें यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सिरोही, झालावाड़ एवं उदयपुर में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। द्वितीय चरण में दिनांक 02.05.2007 से यह योजना राज्य के अन्य 6 जिलें यथा बाड़मेर, चित्तौड गढ, जेसलमेर, टोंक, जालोर एवं सवाईमाधोपुर में प्रारम्भ की गई। तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रेल, 2008 से यह योजना राज्य के शेष सभी जिलों में प्रारम्भ की गई।

उद्देश्य– ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का गारण्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसम्पत्तियों का निर्माण करना, जिससे आजीविका में वृद्धि हो। गांवों में जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना। महिलाओं का सशक्तीकरण। गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना। सामाजिक समरसता एवं समानता सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं– ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय परिवार योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है। पंजीकरण के 15 दिवस में, आवेदन के अनुसार सभी वयस्क सदस्यों के नाम व फोटोयुक्त निशुक्ल जॉबकार्ड जारी किया जाना अनिवार्य है। जॉबकार्डधारी परिवार ही योजनान्तर्गत रोजगार की मांग किये जाने हेतु योग्य है। योजनान्तर्गत कार्य किये जाने हेतु रोजगार की मांग किया जाना अनिवार्य है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.01.2014 को अधिनियम की अनुसूची 1 में किये गये परिवर्तन के उपरान्त अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार निम्न कार्य योजनान्तर्गत कराना अनुमत है:–

1. पेयजल स्त्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जेसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण ओर जल शास्य;

2. जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाशय अवरोध पीपा रना शेड विकास जेसे जलसंभर प्रबंधन कार्य;

3. सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण;

4. सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनरूज्जीवन।

5. पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक्, रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी तथा;

6. सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

वित्त पोषण– केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निम्न व्यय वहन किया जाता है

1. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत।

2. सामग्री मद जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है, का 75 प्रतिशत,

3. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय (वर्तमान में यह योजनान्तर्गत होने वाले कुल व्यय का 6 प्रतिशत है।)

राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निम्न व्यय वहन किया जाता है

1. सामग्री मद (जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है) का 25 प्रतिशत।

2. 15 दिन में रोजगार नहीं दिये जाने पर बेरोजगारी भत्ता, 3. एस.ई.जी. सी. पर किया गया व्यय।

वर्ष 2023–24 की उपलब्धियां

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले राज्य की सहरिया, खैरूआ एवं कथौडी जनजाति परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अपने संसाधनों से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया है।

प्रगति विवरण

जारी किये गये जॉब कार्डस की संख्या (लाखों में)
98.69

परिवारों की संख्या जो कार्य पर उपस्थित हुए (लाखों में)
33.94

सृजित मानव दिवस (लाखों में)
1353.84

100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या
1.29

औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार
40

कुल व्यय राशि (रूपये करोड. में)
2635.85

विगत 3 वर्षों की प्रगति

विवरण	2021–22	2022–23	2023–24
जारी किये गये जॉब कार्डस की संख्या (लाखों में)	95.88	99.51	99.30
परिवारों की संख्या जो कार्य पर उपस्थित हुए (लाखों में)	48.57	42.17	36.15
सृजित मानव दिवस (लाखों में)	2043.00	2203.00	1838.56
100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या (लाखों में)	2.85	4.22	4.46
औसत रोजगार दिवस प्रति परिवार	42	52	51
कुल व्यय राशि (रूपये करोड. में)	3203.52	3271.10	2614.07

ग्रामीण विकास में मनरेगा की बहुआयामी भूमिका का विश्लेषण

मनरेगा ने भारत के ग्रामीण परिदृश्य पर बहुआयामी प्रभाव डाला है, जो केवल रोजगार सृजन से कहीं आगे बढ़कर गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है।

रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा

मनरेगा का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, विशेषकर कृषि के कमजोर मौसमों या आर्थिक संकट के समय।

राष्ट्रीय स्तर पर सृजित मानव–दिवस और रोजगार प्राप्त परिवार

मनरेगा ने देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान (15 दिसंबर, 2022 तक), कुल 11.37 करोड़ परिवारों ने रोजगार का लाभ उठाया और कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार सृजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, मनरेगा ने 309 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार सृजित किया, जो लगभग 60 मिलियन परिवारों के लिए औसतन 50 दिनों के काम के बराबर है। चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में (31 दिसंबर, 2024 तक), 5.11 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया और 211.41 करोड़ व्यक्ति–दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मनरेगा ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से को नियमित आय प्रदान करने में सफल रहा है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

राज्य–विशिष्ट प्रदर्शन

राजस्थान जैसे राज्यों में भी मनरेगा का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, राजस्थान में 2554.88 लाख व्यक्ति–दिवस रोजगार सृजित हुए, और 46.55 लाख परिवारों को काम मिला। यह दर्शाता है कि राज्य स्तर पर भी यह योजना बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। हालांकि, 2023–24 में कुल मानव–दिवस सृजन में कमी देखी गई है (2022–23 में 1325 लाख से घटकर 819.62 लाख) , जो यह संकेत दे सकता है कि श्रमिकों ने अन्य रोजगार के अवसर तलाश किए हैं या योजना के तहत काम की उपलब्धता में कमी आई है।

मनरेगा की मांग–आधारित प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि रोजगार की आवश्यकता होने पर यह उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलती है।

गरीबी उन्मूलन और सामाजिक–आर्थिक उत्थान

मनरेगा का उद्देश्य केवल रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीबों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान में भी योगदान देना है। विभिन्न अध्ययनों ने इस कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभावों को उजागर किया है–

आय में वृद्धि और गरीबी में कमी– अध्ययनों से पता चला है कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि योजना के लाभार्थियों की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में 2008–09 में 10: की वृद्धि हुई। इसी तरह, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में, मनरेगा ने लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की, जिससे गरीब सामाजिक–आर्थिक स्थिति वाले परिवारों का प्रतिशत 2007–08 में 36.25: से घटकर 2013–14 में 12.5: हो गया। यह दर्शाता है कि मनरेगा सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबी को कम करने में सहायक है, क्योंकि यह परिवारों को अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है।

उपभोग और व्यय पैटर्न में सुधार– बढ़ी हुई आय के परिणामस्वरूप परिवारों के उपभोग पैटर्न में सुधार हुआ है। बर्दवान अध्ययन में प्रति व्यक्ति मासिक खाद्य व्यय में 9.5: की वृद्धि देखी गई। ऊधम सिंह नगर के अध्ययन में प्रति व्यक्ति खाद्य, गैर–खाद्य, स्वास्थ्य और बाल शिक्षा व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि मनरेगा से प्राप्त आय का उपयोग बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जा रहा है।

बचत और ऋण में कमी– मनरेगा ने लाभार्थियों की बचत क्षमता को बढ़ाया है। बर्दवान अध्ययन में प्रति व्यक्ति बचत लगभग दोगुनी हो गई। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों पर बकाया ऋण की राशि में भी कमी आई है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार को दर्शाता है। यह वित्तीय सशक्तिकरण परिवारों को आर्थिक झटकों का सामना करने और भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करता है।

आवास और सुविधाओं में सुधार– मनरेगा ने ग्रामीण आवास की स्थिति में भी सुधार किया है। ऊधम सिंह नगर के अध्ययन में गरीब श्रेणी के घरों का प्रतिशत 42.5: से घटकर 13.75: हो गया, जबकि अच्छी श्रेणी के घरों का प्रतिशत 6.25: से बढ़कर 15: हो गया। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है, जिसमें स्वच्छ शौचालयों की कमी वाले घरों का प्रतिशत काफी कम हो गया है। ये सुधार ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं।

महिला सशक्तिकरण

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है–

रोजगार में उच्च भागीदारी– अधिनियम के तहत कम से कम एक तिहाई कार्य महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, महिलाओं की भागीदारी अक्सर इस सीमा से अधिक रही है, वित्तीय वर्ष 2022–23 (15 दिसंबर, 2022 तक) में कुल व्यक्ति–दिवस का 56.19: महिलाओं द्वारा सृजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह 58.9: तक पहुंच गया। नागालैंड में वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान महिला व्यक्ति–दिवस सृजन का प्रतिशत 48.11: रहा है। यह उच्च भागीदारी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।

समान मजदूरी और निर्णय लेने की शक्ति– मनरेगा पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है। यह लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। आय प्राप्त करने से महिलाओं की परिवार के भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, जिससे वे अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर विकल्प चुन पाती हैं।

सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा– महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण ग्रामीण सामाजिक संबंधों में बदलाव लाती है। यह उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक दृश्यता और आवाज प्रदान करता है, जिससे सामाजिक इक्विटी को बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण–शहरी प्रवासन पर प्रभाव

मनरेगा ने ग्रामीण–शहरी प्रवासन, विशेष रूप से संकटग्रस्त और मौसमी प्रवासन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है–

स्थानीय रोजगार के अवसर– मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों को उनके निवास स्थान के करीब रोजगार के अवसर प्रदान करता है (आमतौर पर 5 किमी के दायरे में, अन्यथा अतिरिक्त मजदूरी देय होती है)। यह उन्हें काम की तलाश में दूर के शहरी केंद्रों में जाने की आवश्यकता को कम करता है। अध्ययनों से पता चला है कि योजना ने संकटग्रस्त प्रवासन के स्तर को काफी कम किया है।

मौसमी बेरोजगारी का समाधान– कृषि क्षेत्र में मौसमी प्रकृति के कारण ग्रामीण श्रमिक अक्सर वर्ष के कुछ हिस्सों में बेरोजगार रहते हैं। मनरेगा कृषि के कमजोर मौसमों के दौरान रोजगार प्रदान करके इस अंतर को पाटता है, जिससे मौसमी प्रवासन कम होता है।

सामाजिक–आर्थिक स्थिरता– स्थानीय स्तर पर आय की उपलब्धता ग्रामीण परिवारों को अपने बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और बेहतर जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करती है, जिससे प्रवासन के 'पुश कारकों' (जैसे गरीबी, बेरोजगारी) का प्रभाव कम होता है।

परिसंपत्ति निर्माण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, जो दीर्घकालिक ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं–

विविध परिसंपत्तियों का निर्माण– मनरेगा के तहत जल संरक्षण और जल संचयन (तालाब, चेक डैम, नहरें), सूखा–प्रूफिंग (वनीकरण, वृक्षारोपण), सिंचाई कार्य, भूमि विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी (सड़कें, पुलिया) और ग्रामीण स्वच्छता जैसे 260 से अधिक प्रकार के कार्य अनुमेय हैं। ये परिसंपत्तियां ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर जोर– योजना अपने कुल व्यय का 60: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यों पर खर्च करती है। इसमें जल सुरक्षा बढ़ाना, हरित आवरण में सुधार और मिट्टी संरक्षण शामिल है। 2024–25 में, 18.56 लाख कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित थे, जिनकी अनुमानित लागत 1932431.02 लाख रुपये थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों की पारिस्थितिक स्थिरता और कृषि उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।

उत्पादकता वृद्धि– जल संरक्षण उपायों (जैसे फार्म पॉन्ड और खोदे गए कुएं) ने भूजल स्तर और कृषि उत्पादकता (विशेषकर अनाज, सब्जियां और चारा) में सुधार किया है। यह ग्रामीण आजीविका के आधार को मजबूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग– भारत सरकार ने मनरेगा के लिए रिमोट–सेंसिंग असिस्टेड एनआरएम प्लानिंग मॉडल को बढ़ाया है, जिससे स्थानीय सरकारों को जीआईएस–असिस्टेड इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट (आईएनआरएम) प्लानिंग का उपयोग करके योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। यह परिसंपत्ति निर्माण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करता है।

वित्तीय समावेशन

मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है–

बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान– मजदूरी के भुगतान के लिए संस्थागत खातों (बैंक और डाकघर) के माध्यम से सार्वभौमिक प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। 12.89 करोड़ से अधिक सक्रिय मनरेगा लाभार्थियों के बैंक और डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। यह मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल में से एक बनाता है।

पारदर्शिता और लीकेज में कमी– सीधे बैंक हस्तांतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। यह बिचौलियों को समाप्त करके भ्रष्टाचार और लीकेज को कम करने में मदद करता है।

बचत और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा– बैंक खातों में मजदूरी प्राप्त होने से ग्रामीण परिवारों में बचत और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलता है, जिससे वे अपनी आय का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की केंद्रीय भूमिका उन्हें सशक्त बनाती है–

विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन– मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है, जो कार्यों की पहचान, योजना और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करता है और स्थानीय शासन को सशक्त बनाता है।

क्षमता निर्माण– मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों और ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केंद्र और तकनीकी सहायता इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान है। ये संरचनाएं पीआरआई की प्रबंधकीय दक्षता में सुधार करती हैं और उन्हें योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं।

जवाबदेही में वृद्धि– सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) का प्रावधान ग्राम सभाओं को योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और बाधाएँ

मनरेगा ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ और बाधाएँ भी मौजूद हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को कम करती हैं।

मजदूरी भुगतान में देरी – मजदूरी भुगतान में देरी मनरेगा की सबसे गंभीर और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों में से एक है।

नियमों का उल्लंघन – नियम यह है कि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। इस अवधि में देरी होने पर संबंधित राज्य को मुआवजा देना होता है। हालांकि, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (ष्श्रस्) के अनुसार, केवल 29: भुगतान ही अनिवार्य 7–दिवसीय अवधि के भीतर संसाधित होते हैं।

आधार–आधारित भुगतान प्रणाली की अक्षमताएं – जनवरी 2024 में ।ठै के अनिवार्य होने के बावजूद, केवल 43: श्रमिक ही इसके लिए पात्र थे। ABPS की अक्षमताओं के कारण मुआवजे में अनियोजित देरी 400 करोड़ रुपये तक हो सकती है। तकनीकी गड़बड़ियाँ और सीमित ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचा ABPS के माध्यम से भुगतान में बाधाएं पैदा करते हैं।

राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का अभाव– मजदूरी भुगतान में देरी अक्सर केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त धन जारी करने और राज्यों द्वारा भुगतान प्रसंस्करण में देरी के कारण होती है। यह योजना के प्राथमिक उद्देश्य को कमजोर करता है, जो ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

बजट आवंटन की अपर्याप्तता – मनरेगा के लिए बजट आवंटन अक्सर मांग के अनुरूप नहीं होता है, जिससे योजना की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कमी – मनरेगा का बजट आवंटन 2020–21 में जीडीपी के 0.56: से घटकर 2023–24 में 0.2: हो गया है, जबकि ग्रामीण रोजगार की मांग बढ़ रही है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पूर्ण कार्य मांग को पूरा करने के लिए बजट चार गुना अधिक, यानी जीडीपी का लगभग 1.2:–1.5: होना चाहिए।

मांग–आधारित प्रकृति के बावजूद कमी – मनरेगा एक मांग–आधारित योजना है, जिसका अर्थ है कि मांग बढ़ने पर धन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अपर्याप्त बजट आवंटन सरकार की मजदूरी की मांगों को पूरा करने और देरी के लिए मुआवजा देने की क्षमता को सीमित करता है। 2024–25 के लिए ₹86,000 करोड़ का आवंटन अब तक का सबसे अधिक है, लेकिन यह अभी भी अनुमानित मांग से कम हो सकता है।

भ्रष्टाचार और लीकेज – योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और लीकेज की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे इसकी दक्षता प्रभावित होती है।

जॉब कार्ड में हेराफेरी और फर्जी लाभार्थी – जॉब कार्ड के निर्माण में हेराफेरी, फर्जी लाभार्थियों और फुलाए हुए मस्टर रोल जैसे मुद्दे योजना की दक्षता को कम करते हैं।

मजदूरी का कम भुगतान और रिश्वतखोरी – श्रमिकों को अक्सर पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है या काम पाने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है।

मशीनों का उपयोग – नियमों के विपरीत, श्रम–विस्थापन मशीनों का उपयोग भी रिपोर्ट किया गया है, जो योजना के रोजगार सृजन के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता और उपयोगिता – मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं।

निम्न गुणवत्ता वाले कार्य – कुछ अध्ययनों ने निर्मित परिसंपत्तियों की खराब गुणवत्ता और उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहीं से कहीं नहीं जाने वाली सड़कें या अगले मानसून में बह जाने वाले गड्ढे जैसे उदाहरण दिए गए हैं।

अधूरी परियोजनाएं – बड़ी संख्या में अधूरे कार्य भी एक चुनौती हैं, जो संसाधनों की बर्बादी और योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को कम करते हैं।

योजना और निगरानी का अभाव – पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की योजना, निष्पादन और निगरानी में प्रमुख भूमिका की कमी भी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ

योजना के पैमाने और जटिलता के कारण तकनीकी और प्रशासनिक बाधाएं भी सामने आती हैं।

डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी – ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित डिजिटल बुनियादी ढांचा और तकनीकी गड़बड़ियाँ डिजिटल भुगतान प्रणालियों के प्रभावी उपयोग में बाधा डालती हैं।

समर्पित स्टाफ का अभाव – योजना की खामियों में समर्पित स्टाफ और निगरानी तंत्र का अभाव भी प्रमुख है।

शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरी – मजदूरी भुगतान, परियोजना निष्पादन या कार्यक्रम के अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों का सामना करने वाले श्रमिकों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी है।

जाति–आधारित असमानताएँ

भुगतान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत करने से प्रणालीगत असमानताएं पैदा होती हैं, जिससे अन्य जाति के श्रमिकों के लिए भुगतान में देरी होती है। यह योजना के सामाजिक समावेश के लक्ष्य के विपरीत है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने भारत के ग्रामीण विकास में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। यह केवल एक रोजगार सृजन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच, गरीबी उन्मूलन का एक शक्तिशाली साधन, और महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण–शहरी प्रवासन को कम करने में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। योजना ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे, विशेषकर जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित परिसंपत्तियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत हुआ है।

हालांकि, मजदूरी भुगतान में देरी, अपर्याप्त बजटीय आवंटन, भ्रष्टाचार के मुद्दे और परिसंपत्ति की गुणवत्ता जैसी चुनौतियाँ इसकी पूर्ण क्षमता को बाधित करती हैं। आधार–आधारित भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं और जाति–आधारित भुगतान असमानताएं भी प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करती हैं।

मनरेगा की दीर्घकालिक सफलता और ग्रामीण भारत में इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, इन चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है। कार्यान्वयन दक्षता में सुधार, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और स्थायित्व को बढ़ाना, महिला भागीदारी को और मजबूत करना, और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना, विशेष रूप से सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से, और मांग के अनुरूप पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

मनरेगा एक मांग–आधारित कानूनी अधिकार है, और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार इस अधिकार को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है। इन सिफारिशों को लागू करके, मनरेगा ग्रामीण भारत में समावेशी विकास, आजीविका सुरक्षा और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के अपने मूल उद्देश्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकता है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

संदर्भ सूची

- पंत, डी. सी., (2001), भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो
- गौर, पी. पी., एवं मराठा, आर. के., (2001), लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास, राधा पब्लिकेशन
- शर्मा, श्रीनाथ, एवं सिंह, मनोज कुमार, (2001), पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, ओमेगा पब्लिकेशन
- कटारिया, सुरेन्द्र, (2003), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, रावत पब्लिकेशन
- राठौड़, गिरवर सिंह, (2004), भारत में पंचायती राज, मैकमिलन प्रेस लिमिटेड, लंदन एवं बेसिंगस्टोक
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (2004), सतत शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू
- सुरेन्द्र, (2005), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस